

107 द. प्र. स. 0

वाह की कार्यवाही  
वाह रिश्ता मय

M-82/2017

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

लक्ष्मीन नाग  
बनाम

रमेश साहु वगैरे

आदेश पत्रक

7/9/17

अभिलेख संख्या :- एम. 82 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी कारी के अप्राथमिकी संख्या :- 11/17

294  
7/9/17-

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

प्रतिवादी

लेकर विवाह -

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 22/9/17 को उपस्थापित करें।

17.9.17  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

23/2/18 प्रथम पत्र वें एक अठराय उपरुस योफ  
दिना 9/3/18 वें 225

9/3/18 प्रथम पत्र वें सांठ अं सायि व 400 उपरुस  
विषय अठराय अठराय उपरुस योफ: दि. 16/3/18  
वें 225

16/3/18 प्रथम पत्र वें एक अठराय उपरुस योफ: दि.  
5/4/18 वें 225

5/4/18 प्रथम पत्र वें एक अठराय उपरुस योफ:  
दि. 26/4/18 वें 225

26/4/18 प्रथम पत्र वें एक अठराय, विषय वें एक  
अठराय उपरुस योफ: दि. 10/5/18 वें 225

10/5/18 प्रथम पत्र वें एक अठराय उपरुस विषय  
पत्र न्यायकपत्रे उपरुस योफ अठराय / अठराय  
रुपे अठराय वें अठराय विषय अठराय योफ योफ  
अठराय अठराय क (जे के अठराय अठराय अठराय)  
के अठराय अठराय (10/5/18)